संख्या-14/2016/1896एस0सी0/18-2-2016-600(5)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषय:- बन्द पड़ी दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा, जनपद बलिया को स्विस चैलेन्ज मेथड के आधार पर इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-731/यू0पी0एफ0/रसड़ा लीज दिनांक 14-12-2016 तथा गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियाँ, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 11-11-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा, जनपद बलिया की बन्द पड़ी चीनी मिल को पुन: संचालित किये जाने हेतु मेसर्स प्रीमियर अल्कोबेव प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा स्विस चैलेन्ज मेथड के आधार पर बूट (BOOT - Build, Own, Operate, Transfer) पद्धति पर इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स यथा-चीनी मिल, को-जन प्लान्ट, पेय मदिरा एवं एथेनाल के उत्पादन हेतु मल्टी फीड आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रेवरीज प्लान्ट तथा एलायड/सहायक उद्योग आदि के रूप में विकसित करने हेतु, 30 वर्ष की दीर्घकालीन लीज पर लेने हेतु दिनांक 15-11-2016 के प्रस्ताव को परीक्षण कर प्रेषित किया है तथा स्विस चैलेन्ज मेथड के आधार पर दीर्घकालीन लीज पर इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक को चयन करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और यह पाया गया कि रसड़ा चीनी मिल जनपद बलिया में स्थित है जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में कोई भी निजी निवेशक उद्योग स्थापित करने में रूचि प्राय: नहीं लेता है, जिस कारण से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। चीनी उद्योग के वर्तमान परिवेश में चीनी मिलों को एकल रूप के बजाय इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स को स्थापित कर संचालित के रूप में चलाना लाभप्रद है। चूँकि गन्ना, प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है, अत: ऐसे क्षेत्रों में जहाँ चीनी मिलें हानि में संचालित हैं अथवा बन्द हो गयी हैं वहाँ किसानों की समृद्धि एवं प्रदेश के विकास की द्रष्टि से उन चीनी मिलों को इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स के रूप में चलाये जाने की आवश्यकता तथा निकटवर्ती क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार का सृजन करने, व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, गन्ना किसानों के उत्थान और अन्तत: क्षेत्र का आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास के द्रष्टिगत दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा, जनपद बलिया की भूमि को स्विस चैलेन्ज मेथड के आधार पर दीर्घकालीन लीज पर इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स यथा-चीनी मिल, को-जन प्लान्ट, पेय मदिरा एवं एथेनाल के उत्पादन हेतु मल्टी फीड आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रेवरीज प्लान्ट तथा एलायड/सहायक उद्योग आदि के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशक/विकासकर्ता को पारदर्शी तरीके से प्रतिर्स्पधात्मक बिड प्रक्रिया अपनाते हुए उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- निजी निवेशकर्ता द्वारा लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात् इन्टीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स की समस्त परिसम्पत्तियाँ यथा-भूमि, भवन, प्लान्ट व मशीनरी, पेड़ आदि उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 को भार/बंधक रहित "जहाँ है जैसा है" के आधार पर On Going Concern के रूप में वापस की जायेगी।

4- कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समय-समय पर निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियाँ, उ0प्र0 तथा शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-14/2016/1896(1)एस0सी0/18-2-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियाँ, उ0प्र0।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ।
9- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।